न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीष,द्वितीय्,सह विषेष न्यायाधीष,उत्पाद,समस्तीपुर।

सिंघिया थाना काण्ड सं0 73/19, कम्पयूटर निबंधन सं0 667/19

24.6.19 आवेदक चन्देष्वरष्षर्मा उर्फ संजीव षर्मा, जो सिंघिया थाना काण्ड सं0 73/19, धारा–37(c) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 एवं धारा–25(1-b)A, 26 षस्त्र अधि0 के अन्तर्गत दिनांक 6.6.19 से काराधीन है, की ओर से पूर्व दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदन की प्रति पूर्व में विद्वान वि0 लोक अभि0 को दी जा चुकी है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री परमेंष्वर प्रसाद सिंह जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किये कि आवेदक निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़ंत, असत्य एवं निराधार है। उसे मात्र ग्रामीण रा. जनीति एवं दुष्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। उसके पास से कोई आग्नेयास्त्र बरामद नही किया गया है और न ही उसने किसी प्रकार के षराब का सेवन ही किया है। तथाकथित बरामद आग्नेयास्त्र से उसका कोई सबंध नही है। आरोपित धाराऍ उसके विरूद्व नही बनती है। वह दि0 6.6.19 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद सिन्हा द्वारा जमानत का वि. रोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त के विरूद्व धारा–25(1-b)A, 26 षस्त्र अधि0 एवं धारा–37(c) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्रा. थमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त के विरूद्व षराब पीकर तथा हाथ में लोडेड पिस्तौल लेकर घटनास्थल पर हंगामा करने का आरोप है। सूचक द्वारा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर आवेदक अभियुक्त को एक अवैध देषी पिस्तौल जिसमें गोली लोड था, के साथ गिरफ्तार किया गया तथा चिकित्सक द्वारा जॉच कराने पर अभियुक्त के द्वारा षराब पीने की पुष्टि की गयी।

अभिलेख पर दाखिल केसडायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कंडिका–2 में जप्ती सूची है। कंडिका–3 में वादी का पुनःबयान है। कंडिका–8 में घटनास्थल है। कंडिका–13, 14, 15, 28, 29 में साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका–12 में चिकित्सकीय जॉच प्रतिवेदन है । वाद का अनुसंधान जारी है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आवेदक अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ देना न्यायोचित नही समझता है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्या0–2

सह वि0 न्या0उत्पाद